22

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1361 / 1380 / 2008 / 1–3 भोपाल, दिनांक 1/7/08

प्रति,

प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612 / 1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 10.4.2006 को पारित निर्णय के अनुसार दैनिक वेतन भोगियों, अस्थयी कर्मचारियों के प्रकरण में कार्यवाही करने के संबंध में ।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 5–3 / 2006 / 3–1, दिनांक 16.5.07,8.2.08 एवं 4.4.08

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित निर्देशों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जो आपको भी संबोधित है ।

2– उपरोक्त संदर्भित निर्देशों के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि "यदि किसी विभाग के पद अस्थाई है और उन पर तदर्थ नियुक्ति की गई हैं तथा 10 साल से अधिक उनका नवीनीकरण किया जाता रहा है तो ऐसे पदों के संबंध में भी नियमितिकरण की कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु कर्मचारी को स्थाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पद स्थाई नहीं है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठ क्रमांक 1362 / 1380 / 2008 / 1–3 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

समस्त जिलाधीशों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 06 सितम्बर 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मंडल,ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय :– दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण ।
संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञापन दिनांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 8.2.2008.

::0::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क. अपील (सिविल) 3595–3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के आधार पर संदर्भित ज्ञापनों द्वारा दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। ज्ञापन दिनांक 16 मई 2007 के पैरा 5 (1) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निर्देश है। इन निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन दैनिक वेतन भोगियों को स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है उनके नियमितीकरण के संबंध में छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

2 शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि :–

(1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्हें नियुक्ति दिनांक को पद उपलब्ध न होने के कारण नियमित नहीं किया जा रहा है, को वर्तमान में पद उपलब्ध होने की स्थिति में रोस्टर का पालन करते हुए वरिष्ठता कम में नियमित किया जाए।

(2.) चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितिकरण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा।

(3) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को कमशः रूपये 500/– तथा 1000/– विशेष भत्ते के रूप में दिया जाए। यह विशेष भत्ता दिनांक 01.09.2008 से देय होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

6/9/08
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ.5-3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 6 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल,
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
10. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर,
13. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि.मंत्रालय, भोपाल,
15. उपसचिव/अवरसचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल,
16. मुख्य सचिव के सचिव मंत्रालय, भोपाल,
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल,
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/9/08
(व्ही.एस. सावनेर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कृपया उपरोक्तानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

6/9/08
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ.5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 6 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,म.प्र. जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
3. सचिव , लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव,म.प्र. राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव,म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय,म.प्र. भोपाल,
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक,म.प्र.भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,म.प्र. भोपाल,
10. सचिव,म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग,भोपाल,
11. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर,
13. महालेखाकार,म.प्र.ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव,सा.प्र.वि.मंत्रालय,भोपाल,
15. उपसचिव/अवरसचिव,स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय,भोपाल,
16. मुख्य सचिव के सचिव मंत्रालय,भोपाल,
17. आयुक्त,जनसम्पर्क संचालनालय,म.प्र.भोपाल,
18. अध्यक्ष,म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति,भोपाल,
19. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

6/9/08
(व्ही.एस. सावनेर)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग